निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 42/2020
दायरा दिनांकः–9.11.2020
निर्णय दिनांकः– 12.8.24

उनवान

1. देवीलाल आयु 49 वर्ष पुत्र भंवरिया जाति चमार (जाटव) निवासी ग्राम कडैयावन जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हीरालाल आयु 60 वर्ष पुत्र भंवरिया
2. चम्पालाल आयु 55 वर्ष पुत्र भंवरिया
3. रामचन्द्र आयु 52 वर्ष पुत्र भंवरिया
4. हरिबल्लभ आयु 51 वर्ष पुत्र भंवरिया
5. रघुनाथ आयु 50 वर्ष पुत्र भंवरिया जातियान चमार (जाटव) निवासीगण ग्राम कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 12.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायण लाल चौरसिया – प्रार्थी
2. श्री राकेश गालव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 273 की खसरा नम्बर 51/416 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम आंचोली तहसील छबडा में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 का हिस्सा 16/27 तथा अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/9 व अप्रार्थी क्रम 5 का हिस्सा 8/27 दर्ज राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। अप्रार्थी क्रम 6 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हिस्से बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त करते आ रहे है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में ट्यूबवैल व विद्युत कनेक्शन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती में ही करवाया था तथा हिस्सा बंटवारा उक्त विवादग्रस्त भूमि में 40ग40 वर्गफीट की ट्युबवैल की जगह छोडकर [illegible] करवाया था उक्त ट्युबवैल से शामलाती में ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने–अपने [illegible] से पानी फेरतें आ रहे है तथा उक्त ट्युबवैल का विद्युत कनेक्शन प्रार्थी [illegible] अपने नाम [illegible] या था। प्रार्थी अपने नाम से ही विद्युत कनेक्शन का बिल जमा करता आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि [illegible] स्थित ट्युबवैल का विद्युत बिल का भुगतान करना अप्रार्थीग[illegible]ने बंद कर दिया [illegible] विद्युत कनेक्शन कट गया प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से बकाया बिल राशि जमा करने की कहा तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

अप्रार्थीगण लडाई–झगडा करने पर आमादा हो गए और प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा काश्त करने की धमकी दी तथा कहा कि दोबारा पैसा मांगा तो कनेक्शन भी नही होने देंगे। जब प्रार्थी एवं अन्य संभाल के लोगो ने समझाया तो कहा कि बकाया बिल के पैसे जमा कर देते हो तो बराबर–बराबर पानी लेते रहना किन्तु अप्रार्थीगण नही माने और अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि यदि विद्युत कनेक्शन के बकाया पैसे मांगे तो गांव में भी नही रहने दुंगा और जमीन पर कब्जा काश्त कर लेंगें। प्राईमा फेसाई केस एवं सुविधा का सुतुलन प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राकेश गालव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ जवाब पेश करना नही चाहतें जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 273 फोटो प्रति बिजली का बिल फोटो प्रति बकाया बिल की प्रति पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरन वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंचोली में स्थित है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 का हिस्सा 16/27 तथा अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/9 तथा अप्रार्थी क्रम 5 का हिस्सा 8/27 दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हिस्से बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती में ही ट्युबवैल व विद्युत कनेक्शन है ट्युबवैल की भूमि छोडकर बंटवारा करवाया था प्रार्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन है जिसका बिल प्रार्थी जमा कराता आ रहा है अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है प्रार्थी ट्युबवैल से जबरन पानी लेना चाहतें ओर बिल जमा नही करना चाहतें। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद/प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है जिस पर सभी का हक व अधिकार हैं प्रार्थी द्वारा धारा 188 आर.टी.ए. एवं धारा 212 आर.टी.ए. में दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी को पहले अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराना चाहतें थे। शामलाती खातेदारी की भूमि में 188 आर.टी.ए. का दावा नही चल सकता ओर न ही 212 आर.टी.ए में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा सकतें क्योकि प्रत्येक इंच पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी का अधिकार है जब तक प्रार्थी बंटवारा नही करा लेता तब तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी की जमीन कहां ओर किस दिशा में है एवं अप्रार्थीगण की भूमि कहां और किस दिशा में है यह [illegible] कहा जा सकता। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक उभय पक्षान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आंचोली सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 273 के अनुसार हीरालाल, पुत्र भंवरिया, हिस्सा 1/9 चम्पालाल, रामचन्द्र, हरिबल्लभ, देवीलाल पुत्र भंवरिया हिस्सा 16/27 रघुनाथ पुत्र भंवरिया हिस्सा 8/27 जाति चमार निवासी कडैयावन के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ना है कि विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है इससे यह नही कहा जा सकता है की किस पक्षकार की भूमि कहां है जब तक भूमि का विभाजन नही हो जाता तब तक किसी भी पक्षकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया जा सकता। पाईमा फेसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमित क्षति भी नही हो रही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य एवं मेन्टेनेवल नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य एवं मेन्टेनेवल नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.19 16:45:40 IST
Reason: SelfAttested